

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़

दिनांक- एफ () सम्बन्ध/देव/हनु/2017-18/

दिनांक-

खुली बोली सूचना :-

सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के अधीनस्थ राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों की अपरिचित कृषि भूमियों को वर्ष 2017-18 के लिये खुली बोली से मुनाफा काष्ठ पर दिया जाना है। इच्छुक बोलीदाता नियत स्थान व समय पर बोली प्रारम्भ होने से पहले फोटोयुक्त परिचय पत्र व पेन कार्ड की फोटोप्रति के साथ उपस्थित होकर, धरोहर राशि रूपये 10,000/- जमा कता खुली बोली में भाग ले सकते हैं।

क्र. सं०	नाम मन्दिर मय श्रेणी	कृषि भूमि का विवरण	भूमि जहां स्थित है	नियत बोली स्थान व बोली का समय
1	2	3	4	5
1	राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री भद्रकाली जी 8 एच.एम.एच हनुमानगढ़ टाउन कुल भूमि-17.335 हेक्टर	चक 8 एच.एम.एच. 2.986 हेक्टर 5.188 हेक्टर 6.200 हेक्टर 2.961 हेक्टर	प.नं. 156/261 मु.नं. 13 कि.नं. 1 ता. 25 प.नं. 156/262 मु.नं. 14 प.नं. 16 मु.नं. 157/262 प.नं. 156/262 मु.नं. 17	मन्दिर श्री भद्रकाली जी 8 एच.एम.एच हनुमानगढ़ दिनांक 03.05.2017 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक
2	राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ कुल भूमि-17.089 हेक्टर	0.771 हेक्टर 6.262 हेक्टर 6.325 हेक्टर 3.731 हेक्टर	चक नं. 5 जी.जी.एम. प.नं. 400/451, 400/452 401/453 401/454	राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर स्थित देवस्थान धर्मशाला में। दिनांक 04.05.17 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक

निविदा शर्तें-

1. धरोहर राशि जमा कराने के बाद ही खुली बोली में भाग ले सकते हैं।
2. अधिकतम बोलीदाता को नीलामी कमिटी की अनुशंसा पर बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
3. कृषि भूमियों का विस्तृत विवरण व अन्य शर्तें विभागीय वेबसाइट, devasthan.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in व कार्यालय में कार्यालय समय में तथा मौके पर देखी जा सकती है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ़
दिनांक-

क्रमांक-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि नियत खुली बोली दिनांक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मौके पर भिजवाने का श्रम करावे।
2. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि नियत दिनांक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर भिजवाने का श्रम करावे।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़/नोहर
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/नोहर को प्रचार-प्रसार हेतु।
5. प्रबन्धक मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी
6. सहायक भद्रकाली 8 एच.एम.एच. हनुमानगढ़ टाउन
7. सहायक गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
8. पुजारी मन्दिर श्री भद्रकाली जी 8 एच.एम.एच. हनुमानगढ़ टाउन
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर धरना हेतु।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ़

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ

राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री भद्रकाली जी 8 एच.एम.एच हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ की कृषि भूमि को मुनाफा काश्त हेतु वर्ष 2017-18 यानि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए खुली बोली/ नीलामी की सामान्य शर्तें- दिनांक ~~18-04-2017~~ 3-5-2017

1. खुली बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10,000/- अखरे दस हजार रुपये धरोहर राशि अपने फोटो एवं पहचान पत्र के साथ जमा करानी होगी ।
2. खुली बोली के अधिकतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी होगी । शेष 3/4 राशि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के अनुमोदन पश्चात कार्यालय द्वारा सूचना पत्र जारी होने के 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी ।
3. अन्तिम बोलीदाता द्वारा मौके पर 1/4 रकम जमा न कराने उसकी धरोहर राशि जब्त कर कमेटी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
4. कृषि भूमियों का विस्तृत विवरण सूचना कार्यालय/मौके पर देखी जा सकता है ।
5. उक्त मन्दिर की कृषि भूमि केवल काश्त के लिए दी जा रही है । इस पर कोई व्यावसायिक उपयोग-उपभोग नहीं किया जावेगा , ना ही किसी प्रकार का निर्माण किया जावेगा ।
6. कृषि भूमि पर मौजूद पेड, पौधे व झाडिया आदि नहीं काटी जायेगी । यदि काटे गये तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
7. खुली बोली की मौके की स्थिति अनुसार बोली का समय बढ़ाया जा सकता है व बोली की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है ।
8. खुली बोली के पश्चात बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त/आयुक्त/राज्य सरकार को होगा ।
9. खुली बोली के बाद जो व्यक्ति फसल बोवेगा वह जमीन सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा । जमीन सम्पदा में क्षति होने पर सम्बन्धित से वसूली की जावेगी ।
10. बोली की शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली रद्द करने का अधिकार देवस्थान विभाग हनुमानगढ को होगा ।
11. मेला भद्रकाली जी वर्ष 2018 के प्रारम्भ होने से 10 दिन पूर्व कृषि भूमि का मेला प्रभावित क्षेत्र बोलीदाता को खाली करना होगा ।

अतः उपरोक्त वर्णित शर्तें पढकर, सुनकर व समझ ली है मैं इससे सहमत हूँ ।


52
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ

राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ की कृषि भूमि को मुनाफा काश्त हेतु वर्ष 2017-18 यानि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए खुली बोली/ नीलामी की सामान्य शर्तें- दिनांक ~~20-04-2017~~ 4-5-2017

1. खुली बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10,000/- अखरे दस हजार रूपये धरोहर राशि अपने फोटो एवं पहचान पत्र के साथ जमा करानी होगी ।
2. खुली बोली के अधिकतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी होगी । शेष 3/4 राशि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के अनुमोदन पश्चात कार्यालय द्वारा सूचना पत्र जारी होने के 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी ।
3. अन्तिम बोलीदाता द्वारा मौके पर 1/4 रकम जमा न कराने उसकी धरोहर राशि जब्त कर कमेटी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
4. कृषि भूमियों का विस्तृत विवरण सूचना कार्यालय/मौके पर देखी जा सकता है ।
5. उक्त मन्दिर की कृषि भूमि केवल काश्त के लिए दी जा रही है । इस पर कोई व्यावसायिक उपयोग-उपभोग नहीं किया जावेगा , ना ही किसी प्रकार का निर्माण किया जावेगा ।
6. कृषि भूमि पर मौजूद पेड़, पौधे व झाडिया आदि नहीं काटी जायेगी । यदि काटे गये तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
7. खुली बोली की मौके की स्थिति अनुसार बोली का समय बढ़ाया जा सकता है व बोली की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है ।
8. खुली बोली के पश्चात बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त/आयुक्त/राज्य सरकार को होगा ।
9. खुली बोली के बाद जो व्यक्ति फसल बोवेगा वह जमीन सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा । जमीन सम्पदा में क्षति होने पर सम्बन्धित से वसूली की जावेगी ।
10. बोली की शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली रद्द करने का अधिकार देवस्थान विभाग हनुमानगढ को होगा ।
11. मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी का मास्टर प्लान के तहत जीर्णोद्धार कार्य चल रहा हैं, यदि मास्टर प्लान में उक्त मंदिर की कृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है तो भूमि को पूर्ण रूप से खाली करनी होगी ।

अतः उपरोक्त वर्णित शर्तें पढकर, सुनकर व समझ ली है मैं इससे सहमत हूँ ।


सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ